न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 594–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–12–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 199/09–10/निगरानी.

मनोज कुमार शर्मा पुत्र एम.एल. शर्मा
निवासी लोहा मण्डी, जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मनोज कुशवाह पुत्र रामजीदास कुशवाह
निवासी नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर
2– सुल्तानसिंह पुत्र बाबूलाल
निवासी तारागंज काला सैयद बेलदारपुरा लश्कर
3– मुस. ग्यासो बेवा बालमुकुन्द
4– नन्दराम
5– मनीराम
6– छुकुमा पुत्रगण बालमुकुन्द
7– गोमा
8– विमला पुत्रियां बालमुकुन्द
9– भगवानसिंह
10– देवलाल पुत्रगण जानकी प्रसाद
11– काशी बाई
12– नत्थाराम
13– अमरसिंह
14– राजू पुत्रगण रामजीलाल
15– बलराम पुत्र रामजीलाल
नाबालिग सरपरस्त भाई नत्थाराम
16– पार्वती
17– मुन्नीबाई पुत्रियां रामजीलाल
18– पन्नालाल
19– राजेन्द्रसिंह पुत्रगण खुमान
20– बिट्टोबाई
21– कमलाबाई पुत्रियां खुमानसिंह
समस्त निवासीगण कोटा
लश्कर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव,अभिभाषक, आवेदक
श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क. 1,2 व 4

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 29 नवम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 29–12–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, वृत्त लश्कर, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 7/06–07/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 23–7–07 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुए प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 12–12–2007 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की जाकर तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 23–7–07 की पुष्टि की गई .। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण लंबित रहने के दौरान रामेश्वर, केसरबाई की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जानकारी 10–2–2009 को प्राप्त हो चुकी थी । इसी प्रकार सीमा की भी मृत्यु हो गई, और उसकी जानकारी भी दिनांक 15–9–2010 को प्राप्त हो गई थी, परन्तु आवेदक की ओर से लगभग 2 वर्ष तक मृतकों के वारिसानों को अभिलेख पर लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई, साथ ही अनावेदक कमांक 7 गोमा, अनावेदक कमांक 8 विमला, अनावेदक कमांक 16 पार्वती, अनावेदक कमांक 17 मुन्नीबाई, अनावेदक कमांक 18 पन्नालाल, अनावेदक कमांक 19 राजेन्द्रसिंह, अनावेदक कमांक 20 बिट्टोबाई एवं अनावेदक कमांक 21 कमला बाई का सही पता एवं तलवाना प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 6–10–2010 से 1–11–2010, 29–11–2010 एवं 13–12–2010 अनेक अवसर दिये गये, परन्तु आवेदक द्वारा न तो सही पते प्रस्तुत किये गये, और न ही तलवाना ही प्रस्तुत किया गया । अतः अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 2 एवं आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रकरण

अवेट होने से समाप्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह प्रकरण बटवारे से संबंधित है, और आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि बटवारा प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है, जिसके संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है तथा व्यवहार न्यायालय द्वारा विक्रय पर रोक लगाई गई है, इसलिए बटवारा नहीं हो सकता है । यह भी कहा गया कि व्यहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत 1 से अधिक अनावेदक होने पर यदि एक अनावेदक की मृत्यु हो जाती है, और उसके वारिसन को अभिलेख पर नहीं लाया जाता है, तब भी प्रकरण अवेट नहीं होगा । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1, 2 एवं 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत 6 माह के अन्दर व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया जाना चाहिए, परन्तु वर्तमान प्रकरण में आवेदक की ओर से कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में ही उभय पक्ष के मध्य इस आशय का समझौता हुआ था कि उभय पक्ष बटवारा प्रकरण में एक–दूसरे का सहयोग करेंगे, परंतु आवेदक द्वारा सहयोग नहीं करते हुए निगरानी–दर–निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, और वह प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं होने देना चाहता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 3, 5, 6 लगायत 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1, 2 एवं 4 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा दो आधारों पर उनके समक्ष प्रचिलत निगरानी अवेट होने से समाप्त की गई है । प्रथम मृतकों रामेश्वर, केसरबाई एवं सीमा के वारिसानों को आवेदक द्वारा नियत समय अवधि में अभिलेख पर नहीं लिया गया है । द्वितीय आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 7 गोमा, अनावेदक कमांक 8 विमला, अनावेदक कमांक 16 पार्वती, अनावेदक कमांक 17 मुन्नीबाई, अनावेदक कमांक 18 पन्नालाल, अनावेदक कमांक 19

राजेन्द्रसिंह, अनावेदक कमांक 20 बिट्टोबाई एवं अनावेदक कमांक 21 कमला बाई के सही पते एवं तलवाना प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त आधार पर अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रचलित निगरानी समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। कारण यदि आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान भी लिया जाये कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत एक से अधिक अनावेदक होने पर एक अनावेदक की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को अभिलेख पर नहीं लाने से सम्पूर्ण प्रकरण अवेट नहीं होगा, फिर भी व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रतिवादी पर समंस की तामीली इसलिए नहीं हुई है कि न्यायालय फीस या डाक महसूल यदि कोई हो, जो ऐसी तामीली के लिए प्रभारणीय है, देने में या आदेश 7 नियम 9 द्वारा अपेक्षित वाद पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करने में वादी असफल रहा है वहां न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वाद खरिज कर दिया जाये । अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर